

15-3-21 वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन  
अधिकारी... 23-3-21... को पेश हो।

23-3-21

वादी द्वारा कथित/उपलब्ध होकर  
आवेदिका पर लिखित कारण कि जिस में यकृत  
में काम करे कार्यवाही नहीं पाएगी, उनी  
स्टेप पर वापस लेता हूँ। यकृत को दारिद्र्य  
कारण किया जाके। वादी के निकट एवं वादी  
द्वारा यकृत में काम कार्यवाही नहीं पाएगी  
पर वाद वादी द्वारा किया जाता है  
पदावली कार्यालय से काम होकर एवं  
वकील जाके दारिद्र्य कार्यालय में

श्री...  
...  
...  
पर कार्यवाही

...

25/3/21

(उभयपक्षी)